भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4814

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर देने के लिए

टंगस्टन और लिथियम

4814. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीएसआई द्वारा टंगस्टन, लिथियम आदि जैसे खनिजों के लिए नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में रेवंत पहाड़ी और आस-पास के क्षेत्रों पर अन्वेषण/सर्वेक्षण इत्यादि किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अन्वेषण/सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार टंगस्टन, लिथियम आदि की उपलब्धता की स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त क्षेत्र में इन खनिजों की उपलब्धता को देखते हुए इनके खनन को पुन: शुरू करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कार्य सत्र (एफएस) 2022-23 के दौरान, टंगस्टन और लिथियम युक्त खनिजीकृत क्षेत्रों की जांच करने के लिए पहाड़ी ब्लॉक के उत्तर-पश्चिम विस्तार और दक्षिण-पूर्व विस्तार में दो जी2 चरण की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त, राजस्थान के नागौर जिले के पिपलिया ब्लॉक में कार्य सत्र 2022-23 में टंगस्टन और संबंधित तत्व के लिए एक जी3 चरण का गवेषण भी प्रगति पर है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(ग) और (घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार और उसके तहत बनाए गए नियमों, राज्य सरकारों को अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर स्थित खनिजों के लिए खनिज रियायतें देने का अधिकार दिया गया है।

जहां तक खनिज लिथियम का संबंध है, सूचित किया जाता है कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की अनुसूची । के भाग-ख में लिथियम युक्त खनिजों को परमाणु खनिजों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। परमाणु खनिजों के लिए खनिज रियायतें एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11ख के तहत बनाए गए परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 (एएमसीआर, 2016) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

किसी लिथियम ब्लॉक के खनन के लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए, पूर्वेक्षण कार्य करने वाली एजेंसी डीएई को भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर, डीएई पूर्वेक्षण क्षेत्र में परमाणु खनिजों के श्रेणी की तुलना आरंभिक मूल्य से करेगा।

एएमसीआर, 2016 के अनुसार यदि परमाणु खनिजों की श्रेणी आरंभिक मूल्य (एएमसीआर, 2016 की अनुसूची क में यथा विनिर्दिष्ट) के बराबर या उससे अधिक है, तो खनन पट्टा किसी सरकारी या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनी या निगम को दिया जाता है। अन्यथा, संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 10ख या धारा 11 या धारा 17क के प्रावधानों के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान की जाती हैं। लिथियम युक्त खनिजों के लिए, ब्राइन को (200 पीपीएम Li, यानी 200 ग्राम/टन Li) अयस्क में छोड़कर आरंभिक मूल्य 0.5% Li2O (5,000 पीपीएम) है।

****